कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 14.08.2013 को सम्पन्न हुई,का कार्यवृत्त

अपरान्ह 03.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/205/सचिव (न.नि.)/13–14 दिनांक :-30-08-2013

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/...,

पार्षद वार्ड सं0........./सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो दिनांक 14.08.2013 दिन बुधवार को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 26 तक।

(विजय कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रशासन) महोदय को सूचनार्थ।
3. अपर नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।
4. अपर नगर आयुक्त (के) महोदय को सूचनार्थ।
5. अपर नगर आयुक्त (बी) महोदय को सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक– 14.08.2013 दिन बुधवार को अपरान्ह 03:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	महापौर / सभापति		
श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	सदस्य / उप सभापति	मो0 सलीम बेग	सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता	सदस्य	**अधिकारीगण**	
श्रीमती उत्तम दुबे	सदस्य	श्री उमाकान्त त्रिपाठी	कार्यवाहक नगर आयुक्त
श्रीमती गीता देवी	सदस्य	श्री के0 एस0 अवस्थी	अपर नगर आयुक्त (के0)
श्री जितेन्द्र कुमार	सदस्य	श्री बी0 के0 द्विवेदी	अपर नगर आयुक्त (बी0)
श्री धर्मनाथ मिश्रा	सदस्य	श्री डी0 के0 गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
मो0 वसी	सदस्य	डा0 सी0 पी0 पाठक	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्री इरफान खॉन	सदस्य	डा0 यू0 पी0 अग्रवाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0)
श्री राकेश साहू	सदस्य	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियन्ता ''मार्गप्रकाश''
श्रीमती विजय लक्ष्मी	सदस्य	श्री लालता प्रसाद	कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता
श्री संदीप जायसवाल	सदस्य	श्री विसुद्धानन्द द्विवेदी	सचिव (जलकल विभाग)

सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यवाहक नगर आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय महापौर एवं कार्यकारिणी समिति की सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये अवगत कराया कि कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु कार्यसूची में 86 प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है, जिस पर चर्चा होने के पश्चात् नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 51(5) में विहित प्राविधान के तहत कार्यकारिणी के 06 सदस्य मा0 महापौर जी द्वारा लाटरी पद्धति से सेवानिवृत्त किये जायेंगे।

ह0....महापौर

सभापति ने कहा कि आज की बैठक की कार्यसूची में ज्यादा से ज्यादा नामकरण के प्रस्ताव है, उनके सम्बन्ध में उचित होगा कि उल्लिखित प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रस्तावक से नामकरण हेतु दिये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में गहनता से जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि उस अमुक व्यक्ति का समाज के प्रति शिक्षा, राजनीति, उद्योग जगत या क्रांति के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है ? परीक्षणोंपरान्त ही नामकरण प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

नामकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त श्री के0एस0अवस्थी ने मा0 महापौर जी से अनुरोध करते हुये अवगत कराया कि पूर्व में भी नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–57 के तहत नामकरण समिति गठित की जाती रही है, जिसकी अनुशंसा के बाद कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते रहे हैं।

इस पर सभापति ने नगर निगम अधिनियम द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत नामकरण समिति गठित किये जाने के लिये सभी सदस्यों से अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये कहा।

.... सर्वसम्मति से नामकरण समिति के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

सभापति ने सभी सदस्यों को कार्यसूची में अंकित प्रस्तावों पर विचार करने के निर्देश प्रदान किये।

प्र0सं0 157– श्री हाजी सुहेल अहमद (नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषयः–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' स्व0 हमीद खां ताऊ जी (पूर्व विधायक) की स्मृति में उनके निवास स्थान के पास स्थित रूपम टॉकीज चौराहे का नाम बदलकर 'स्व0 हमीद खॉ ताऊ जी' चौक रखें जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आजादी की लड़ाई में अभूतपूर्व व अविस्मरणीय योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी जी के सहयोगी कानपुर के महान् स्वतत्रता संग्राम सेनानी '' स्व0 हमीद खॉ ताऊ जी'' (पूर्व विधायक) के निवास के स्थान के निकट स्थित रूपम टॉकीज चौराहे का नाम बदलकर उनके नाम पर '' स्व0 हमीद खॉ ताऊ जी'' चौक रख दिया जाये। यह उक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर के महान् स्वतत्रता संग्राम सेनानी ' स्व0 हमीद खॉ ताऊ जी' की स्मृति में रूपम टाकीज चौराहे का सुन्दरीकरण कराके उक्त चौराहे का नामकरण ' स्व0 हमीद खॉ ताऊ जी' चौक रखे जाने का आदेश पारित कराने का कष्ट करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0....महापौर

प्र0सं0 158— श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार, पार्षद द्वारा प्रस्तुत, व पांच पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

आपको अवगत कराना है कि मेरे वार्ड 27 सरोजनी नगर में दिनांक 01.05.13 को लुटेरो से संघर्ष करते हुये श्री राजू सरदार वीरगति को प्राप्त हो गये । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वार्ड के एक पार्क एवं सड़क का नामकरण स्व0स0इन्द्रजीत सिहं उर्फ राजू सरदार के नाम से करने की कृपा करे।

1. चैन फैक्ट्री चौराहा से काली मन्दिर सड़क शास्त्री नगर।
2. तिकोनिया पार्क,मतैया पुरवा, शास्त्री नगर।

प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

सभापति ने कहा कि इस प्रकरण को विशेष रूप से समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया है। अतएव इसे विशेष प्रस्ताव के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 159— पार्षद श्री सत्येन्द्र मिश्रा व श्री हाजी सुहेल अहमद (नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

आज दिनांक 01.05.2013 को शास्त्री नगर स्थित चैन फैक्ट्री चौराहे पर लुटेरो के द्वारा महिला डाक्टर की चैन लूटते समय सरदार इन्दरजीत सिंह उर्फ राजू के द्वारा संघर्ष किया गया, जिसके दारैरान लुटेरों के द्वारा सरदार इन्दरजीत सिह '' राजू'' को गोली मार दी गई, जिससे वह शहीद हो गये। इसके कम में आज दिनांक 02.05.2013 को श्री सत्येन्द्र मिश्रा , उप नेता सदन, नगर निगम के द्वारा स्व0 इन्दरजीत सिंह के परिवार को यात्राभत्ता 300 रू0 जो नगर निगम के द्वारा प्राविधानित है, उसे समस्त पार्षदो की स्वीकृति से शहीद परिवार को दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

हाजी सुहैल अहमद, नेता समाजवादी पार्टी पार्षद दल के द्वारा प्रस्ताव आज दिनांक 02.05.13 को प्राप्त हुआ है, जिस पर स्व0 इन्दरजीत सिंह उर्फ राजू चैन फैक्ट्री चौराहा रोड का नामकरण स्व0 इन्दरजीत सिंह मार्ग किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... निर्णय लिया गया कि अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में सभी निर्वाचित पार्षदों से इस प्रस्ताव के पक्ष में लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय। सड़क के नामकरण के सम्बन्ध में पूर्व प्रस्ताव संख्या—158 में स्वीकृति दी जा चुकी है।

ह0....महापौर

प्र0सं0 160— श्री हाजी सुहेल अहमद (नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः— मेरे वार्ड 104 (जोन—1) के अन्तर्गत पड़ने वाले दलेल पुरवा चौराहे का नामकरण व सुन्दरीकरण महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध मे।

सादर अनुरोध है कि स्वंतन्त्रता संग्राम सेनानी मौलाना हसरत मोहानी कानपुर के निवासी थे तथा ये शहर मौलाना हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जाना जाता है। मेरे वार्ड 104 (जोन—1) के अन्तर्गत पड़ने वाले चौराहे दलेलपुरवा का नाम देश के स्वतंन्त्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान् स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मौलाना हसरत मोहानी के नाम पर किया जाना उक्त स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रतिसच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त दलेल पुरवा चौराहे का नाम बदल कर मौलाना हसरत मोहानी के नाम पर रखें जाने का प्रस्ताव पारित करने के साथ ही साथ उक्त चौराहे का सुन्दरीकरण भी कराये जाने का कष्ट करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... श्री मोहानी सर्वविदित व्यक्ति है। प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

प्र0सं0 161— मा0 विधायक श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः— अमर शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी गुलाब वाटिका के भव्य द्वार के निर्माण के सम्बन्ध में।

संलग्न प्रार्थना पत्र स्व0 राम प्रसाद त्रिपाठी स्मारक समिति (रजि0) बारादरी नं0 10 ब्लाक गोविन्द नगर कानपुर का अवलोकन करने का कष्ट करें। स्व0 राम प्रसाद त्रिपाठी नगर निगम, जल संस्थान एवं कानपुर विकास प्राधिकरणके कर्मचारी नेता थे जिनके नाम से नगर निगम स्थित अमर शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी गुलाब वाटिका में एक भव्य द्वार निर्माण कराने की समिति ने आग्रह किया है। भव्य द्वार का पूर्ण खर्चा समिति उठाने को तैयार है।

अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त स्थल पर स्व0 राम प्रसाद त्रिपाठी गुलाब वाटिका में एक भव्य द्वार का निर्माण कराने की अनुमति प्रदान करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 162— मा0 एम0एल0सी0 श्री जगेन्द्र स्वरूप द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

<u>प्रस्ताव</u>

कुछ दिन पूर्व मैं एक कार्यक्रम में श्याम नगर गया था। वहॅा जी0टी0रोड से श्याम नगर जाने के लिये एक ओवरब्रिज बना है। ओवरब्रिज से श्याम नगर में उतरने के बाद लगभग डेढ़ कि0मी0 पर एक सार्वजनिक मार्ग बायीं ओर चौधरी लॉन से मंगला विहार फेस—1 तक जाता है। उक्त सार्वजनिक मार्ग किसी के

नाम से नही है। उक्त क्षेत्र में जिस कार्यक्रम में मैं गया था वहॉ अनेक सम्भ्रांत नागरिक थे और उनके द्वारा बताया गया कि स्वर्गीय नसीरूद्दीन सिद्दकी उक्त क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे अतः उल्लिखित मार्ग का नाम स्वर्गीय नसीरूद्दीन सिद्दकी के नाम से कर दिया जाय।

आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग का नाम स्वर्गीय नसीरूद्दीन सिद्दकी के नाम किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

.... नामकरण समिति की आख्या/अनुशंसा के बाद परीक्षणोंपरान्त कार्यवाही की जाय।

प्र0सं0 163– श्री मनोज सेंगर, अध्यक्ष, युग दधीचि देहदान संस्थान (रजि0), 220/6, जे0के0 कालोनी , जाजमऊ, कानपुर द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित परशुराम वाटिका में चहारदीवारी से घिरी हुई खाली जगह वृक्षारोपण (जड़ी बूटी उद्यान एवं नवग्रह वाटिका हेतु आवंटन के लिये सादर निवेदन।

सदी के अनूठे आन्दोलन युग दधीचि देहदान अभियान के अर्न्तगत अब तक 102 मृत मानवदेह चिकित्सा जगत को समर्पित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इन सभी देहदानियों की स्मृति को अमरता प्रदान करने हेतु उनके नाम से वृक्षारोपण का कार्य संस्था द्वारा प्रस्तावित है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि पर्यावरण संरक्षण के इस पुनीत कार्य हेतु बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में परशुराम वाटिका के ठीक बगल में चहारदीवारी से धिरा स्थान आवंटित करने की कृपा करें। यहां वृक्षारोपण कर जड़ीबूटी एवं उपनियमों का पूर्ण पालन हमारी संस्था करेगी। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

पर्यावरण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि चिड्रेन पार्क हेतु पत्रावली स्वीकृति प्रक्रिया में है।

.... निर्णय लिया गया कि चूॅकि सन्दर्भित पार्क चिल्ड्रेन पार्क हेतु पूर्व से ही चयनित है, इसलिये प्रस्ताव स्वीकार्य नही है। पत्रावली स्वीकृति प्रक्रिया में है अतएव पूर्ण विवरण सहित अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्र0सं0 164– श्री के0पी0 ओबराय, जनरल सेकेट्री, स्वर संसार सोसाइटी, 120/154 ग्राउन्ड फ्लोर, लाजपत नगर, कानपुर , द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– <u>निर्माण शहीद स्मारक लाजपत नगर पार्क</u>

गत कई वर्षो से स्वर संसार सोसाइटी 23 मार्च को शहीद शिरोमणी सरदार भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव का बलिदान मनाती आ रही है और प्रयासरत है कि कानपुर नगर में जहां भगत सिंह ने अपने क्रान्तीकारी जीवन के कई बहुमूल्य वर्ष बिताये। यही पर उनको गणेश शंकर विद्यार्थी , चन्द्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां जैसे देश भक्तो का साथ मिला।

ह0....महापौर

भारत माता के उन अमर सूपतो की याद में कानपुर नगर में शानदार शहीद स्मारक पार्क बनाया जाये यह उन वीरो को महान श्रद्धांजलि होगी। इस प्रयास में कानपुर नगर निवासी अपना सहयोग प्रदान करने के लिये उत्साहित है।

अगर आप लाजपत नगर में खाली पड़े पानी की टंकी वाले बडे पार्क के पास में कोई स्थान देकर शहीद स्मारक बनवाने की स्वीकृति प्रदान करे जो आपकी महान दया होगी इसी पार्क में बच्चो के खेलने तथा उनको अपने देश के वीरो के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया जा सकेगा और आने वाली पीढ़ियों तक अमर शहीदो की यादगार पहुॅचती रहेगी।

आशा ही नही विश्वास है कि आप अपना बहुमूल्य सहयोग अवश्य प्रदान करेगें आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

.... स्वीकार नही किया गया।

प्र0सं0 165– श्रीमती रश्मि शाह व 10 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषय– रोड व पार्क का नामकरण करने के सम्बन्ध मे।

मेरे पति स्व0 इकबाल अली शाह जो कि पूर्व में दो बार सन् 2000 व 2005 में पार्षद निर्वाचित हुये थे। मेरे क्षेत्र में उनके नाम से कोई एक पार्क व रोड का नामकरण करने का कष्ट करे जो कि जनता के सुख दुख में जनता के साथ रहते थे । पूर्व पार्षद होने के कारण मेरे क्षेत्र में उनका नाम कोई भी एक स्थान होना चाहिये था। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... पूर्व पार्षद स्व0 इकबाल अली शाह के निवास को जाने वाली सड़क का नाम इकबाल अली शाह मार्ग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 166– श्री राकेश साहू पार्षद व मा0 03 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषय– कानपुर नगर में नगर निगम द्वारा बच्चो के लिये एक आधुनिक पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

सविनय अवगत कराना है कि बृजेन्द्र स्वरूप पार्क परशुराम वाटिका के बगल मे नगर निगम के खाली पडे पार्क में नगर निगम द्वारा बच्चो के लिये एक एजूकेशनल पार्क आधुनिक पद्धत्ति द्वारा बनाया जाये।

अतः आपसे निवेदन है कि पार्क के निर्माण से नगर निगम की आप व बच्चो की शिक्षा के साथ साथ उनका मनोरंजन व बौद्धिक विकास भी होगा। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0....महापौर

प्र0सं0 167— श्री अभिषेक गुप्ता पार्षद व 03 अन्य पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:—

<u>प्रस्ताव</u>

निवेदन है कि कानपुर नगर निगम की विज्ञापन नियमावली 2003 की है इस नियमावली में कई संशोधनों की आवश्यकता है इसलिये 2013 में एक नई नियमावली बनाये जिसमें लखनऊ नगर निगम की तर्ज पर नये नियम व शुल्क से कर निर्धारण करके वसूली की जा सके। इसी तरह नगर निगम के हाउस टैक्स की तर्ज पर कराये गये जी0आई0एस0 सर्वे को विज्ञापन विभाग द्वारा शहर में हो रहे विज्ञापनों का सर्वे कराया जाये ताकि शहर में नये विज्ञापनों की सूचना विज्ञापन विभाग को मिलें और उनसे टैक्स की वसूली की जा सके। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व में विज्ञापन के सम्बन्ध में नियमावली तैयार कर शासन को प्रेषित की गई थी, जिसे विज्ञापन दाताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर स्थगन प्राप्त कर लिया था। पुनः नई नियमावली तैयार कर ली गई है नियमावली हेतु कार्यकारिणी/सदन द्वारा संकल्प पारित किये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या—238 पर एतदर्थ मा0 कार्यकारिणी के सदस्यों को ध्यानाकर्षित किया जायेगा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

सभापति ने कहा कि वसूली प्रक्रिया में गतिशीलता लाई जाय जिससे कानपुर महानगर का समग्र विकास परिलक्षित हो सके।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 168— श्री दीप कुमार शुक्ल, अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास समिति, 237, भाभा नगर, सनिगंवा रोड, कानपुर , द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना:—

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः— सनिगावां रोड स्थित मान्यवर कांशीराम मोड़ वाले चौराहे का नामकरण।

जन सामान्य संदर्भित चौराहे को समाज सेवी श्री अन्ना हजारे के नाम पर गत कई वर्षो से '' अन्ना चौराहा'' कह कर पुकारते है।सुदूर स्थानो से आने जाने वाले लोगो को भी पता ठिकाना बताने के लिये अन्ना चौराहा का नाम लिया जाता है। अन्ना चौराहा काफी प्रचलित नाम हो गया है। जन जन इस नाम से परिचित हो गया है।

अतः आपसे आग्रह है कि संदर्भित चौराहे का नामकरण समाजसेवी श्री '' अन्ना हजारे'' के नाम पर अन्ना चौराहा हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्णकर इसे विधि सम्मत स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत** ।

.... अस्वीकार किया गया।

ह0....महापौर

प्र0सं0 169— श्री अमित कुमार मेहरोत्रा व 11 अन्य पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

विषय— नानाराव तरणताल के सम्बन्ध में

आपसे अनुरोध है कि नानाराव तरणताल को फिल्ट्रेशन प्लान्ट , सेक्शन सुपर, डाइविंग बोर्ड, वेनस, वाउन्ड्री वाल विद्युत सम्बन्धित कार्य भी वांछित है जिसमें नगर निगम के मैकेनिकल/वर्कशाप , मुख्य अभियंता सिविल, पर्यावरण, विद्युत आदि विभागो के समन्वय से कार्य योजना बनाकर उक्त ऐतिहासिक तरणताल का जीर्णोद्धार कर चालू हालत में लाया जाना जनहित में आवश्यक है। अतः उपरोक्त कार्य हेतु नगर आयुक्त को पत्र अनुशंसा सहित अग्रसारित करने की कृपा करें जिससे सम्बन्धित विभागो से इस्टीमेट बनाकर कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 170— नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/272/अ0अ0—3 दिनांक 08.07.2013 के अन्तर्गत मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ** प्रेषित।

:— प्रस्ताव —:

जोन—3 वार्ड 80 के अर्न्तगत म0न0 बी—790 से बी—48 तक की सड़क का नामकरण '' **स्व0 पं0 रामकृष्ण शुक्ल मार्ग**'' के नाम से नामकरण करने हेतु मा0 कार्यकासरिणी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2013 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 101 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परीक्षण कराकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि स्व0 पं0 रामकृष्ण शुक्ल सदैव समाज सेवा में व्यस्त रहते थे। उक्त सड़क का नामकरण मा0 कार्यकारिणी समिति के स्वीकृति के उपरान्त '' **स्व0 पं0 रामकृष्ण शुक्ल मार्ग**'' किया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत सड़क के नामकरण की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रेषित है।**

.... नामकरण के लिये गये निर्णय के क्रम में परीक्षणोंपरान्त कार्यवाही की जाय।

प्र0सं0 171— श्री श्याम नारायण सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सविता न्यायी एकता परिषद,जे—106 केशवपुरम,आवास विकास—1,कल्याणपुर, कानपुर द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

सादर प्रणाम निवेदन करना है कि आपसे सविता न्यायी सैन समाज एक चौराहा मसवानपुर फोर लाइन रोड निकट केसा आवास विकास —1 कल्यानपुर कानपुर पर जन नायक स्व0 श्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाना चाहते है जो कि चौराहा बनाने एवं प्रतिमा का पूरा खर्चा समाज करेगा आप कृपया मसवानपुर चौराहा स्व0 श्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम एवं प्रतिमा लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रेषित है।**

.... मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा लगाने को प्रतिबन्धित किया गया है, तदनुक्रम में प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

ह0....महापौर

प्र0सं0 172– श्री राकेश साहू पार्षद व 02 अन्य पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषय– नसीमाबाद पार्क का नाम डा0 राम मनोहर लोहिया रखे जाने के सम्बन्ध मे।

सविनय अवगत कराना है कि वार्ड 72 में एक मात्र पार्क है जिसका नाम डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम रखे जाने की कृपा करें। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रेषित है।**

सभापति ने कहा कि डा0 राम मनोहर लोहिया का कृतित्व/व्यक्तित्व बहुत विशाल है और एक छोटे से पार्क को उनके नाम से नामांकित करने से उस नाम के साथ न्याय नही होगा। तदोपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि अन्य किसी बड़े पार्क के नामकरण पर विचार किया जाय।

.... अस्वीकार किया गया।

प्र0सं0 173– श्रीमती सुमन तिवारी, अध्यक्ष ''सहयोग'' (पूर्व पार्षद) एवं श्री अशोक तिवारी, मा0 पार्षद 111ए/400, 80 फिट रोड, अशोक नगर , कानपुर द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

सविनय निवेदन है कि वार्ड 43 अशोक नगर में, जो जवान देश की रक्षा करते हुये शहीद हो गये है, उनकी याद में **'' अमर जवान ज्योति चौक''** की स्थापना नगर निगम द्वारा की गई है, हमारी जानकारी में ऐसा स्मारक देश में दूसरा है, परन्तु अफसोस के साथ आपको अवगत करवाना है कि कानपुर महानगर के वो बन्धु जो कि अपने व्यापार या राजनिति आदि का विज्ञापन करते है वो उपरोक्त चौक के महत्व को नही जानते है और अपने विज्ञापनपट उपरोक्त स्मारक में लगाकर शहीदों की शहादत का अपमान करते है। चूंकि वार्ड 43 अशोक नगर में नगर निगम का मुख्यालय स्थित है, अतः इस वार्ड की सुन्दरता भी नगर निगम द्वारा कराये गये कार्यो का आइना बन जाता है।

अतः ''सहयोग'' संस्था की ओर से निवेदन सहित कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव है कि सम्पूर्ण वार्ड–43 अशोक नगर को विज्ञापन रहित वार्ड (No Advertisement ward) घोषित किया जाये।

''सहयोग'' संस्था आपका तथा सम्पूर्ण कार्यकारिणी की आभारी होगी। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रेषित है।**

.... सहयोग संस्था एवं पार्षद श्री अशोक तिवारी का प्रस्ताव ''अमर जवान ज्योति चौक'' को विज्ञापन रहित क्षेत्र के लिये स्वीकार किया गया तथा उनके प्रस्ताव पर चर्चा के क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर में समस्त महापुरूषों की प्रतिमा व शहीद स्थलों के क्षेत्र को विज्ञापन रहित किया जाता है उक्त स्थान पर विज्ञापन लगाने वालों को दण्डित भी करने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सहयोग संस्था एवं पार्षद को प्रशंसा पत्र भी भेजा जाय।

ह0....महापौर

प्र0सं0 174– नगर आयुक्त महोदय के पत्र संख्या डी/51/सचिव दिनांक 22.04.13 अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/सूचनार्थ प्रेषित।

प्रस्ताव

प्रदेश के जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक, जोन/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 , समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को शासनादेश संख्या 786–छः–पु–2–2008–700 (01)/2001 दिनांक 05.05.08 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत नगर प्रमुख/विश्वद्यिालयों के कुलपतियों को औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय प्रदान करने के निर्देश हैं। वर्तमान में मा0 महापौर को एक सुरक्षा कर्मी (गनर) जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किया गया हैं। अतः शासनादेश के प्राविधानों के तहत वांछित धनराशि के भुगतान की मांग डीआईजी/एस0एस0पी0 , कानपुर नगर द्वारा की जाती रही हैं।

इस सम्बन्ध में चुंकि विश्वविद्यालयों के कुलपति सामान्यतः वेतनधारी व्यक्ति होते हैं,जबकि मा0 महापौर का पद अवैतनिक हैं। ऐसी स्थिति में शासनादेश में उल्लिखित मा0 महापौर जी के इस पद पर 10 प्रतिशत निजी व्यय को नगर निगम निधि से वहन कर भुगतान करने की **स्वीकृति कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रेषित हैं।**

नगर आयुक्त ने कहा कि चूँकि मा0 महापौर को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, बैठकों में जाना पड़ता है, जिससे इनकी सुरक्षा का दायित्व नगर निगम का है। अतएव यह प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि मैं इस निर्णय से सहमत नही हूॅ। क्योंकि मैं अपने जीवनकाल में स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीता आ रहा हूॅ। 10 प्रतिशत निजी व्यय जो नगर निगम निधि से वहन किया जायेगा मैं इसके पक्ष में नही हूॅ, क्योंकि मेरे लिये जीवन इतना मूल्यवान नही है। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो कल ही समाचार पत्रों में इसके सम्बन्ध में विशेष रूप से समाचार प्रकाशित कर दिया जायेगा।

पुनः नगर आयुक्त ने सभापति से अनुरोध किया कि समाचारों में प्रकाशित खबर पूर्णतः सत्य पर आधारित नही होती है क्योंकि एक विशेष जगह का छायाचित्र लेकर के समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित कर नागरिकों में सनसनी या उत्तेजना फैलाई जाती है। अधिकतर नकारात्मक खबरे ही समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। अतः सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी जाय साथ ही उ0प्र0 शासन को भी नगर आयुक्त के स्तर से पत्र लिखकर यह अनुरोध किया जाय कि जिस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष आदि को निःशुल्क सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, उसी प्रकार मा0 महापौर को भी बिना किसी व्यय के सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कर्मी (गनर) प्रदान किया जाय।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित–जोन–2

प्र.सं.	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
175	जोन–2 वार्ड 53 के अन्तर्गत श्याम नगर के रामपुरम मोड़ से एन.एच.–2 तक डिवाइडर बनाने का कार्य।	**नगर निगम निधि**	5,97,836.00	5,26,155.46	आगणन दर से 11.99 प्रतिशत निम्न	**मे0 धर्मेन्द्र कान्स0 क0**	**पढ़ा गया**
176	जोन–2 वार्ड 66 के अन्तर्गत रविदास विहार मलिन बस्ती में 10 गलियों में नाली	**राज्य वित्त आयोग**	9,22,510.00	8,39,484.10	आगणन दर से 9.00 प्रति0निम्न	**मे0 माँ मैहर ट्रेडर्स**	**पढ़ा गया**

ह0....महापौर

	एवं सड़क का सुधार कार्य।						
177	जोन–2 वार्ड 28 के अन्तर्गत ब्लाक नं0 11 में के0के0 लाम्बा के मकान से श्री एल0के0 व श्री राम सेवक सिंह एवं संकल्प भवन तक सी0सी0 का कार्य।	**नगर निगम निधि**	8,84,629.00	7,60,780.94	आगणन दर से 14.00 प्रति0 निम्न	**मे0 माँ मैहर ट्रेडर्स**	**पढ़ा गया**
178	जोन–2 वार्ड 70 के अन्तर्गत तिवारीपुर में आइस्क्रीम फैक्ट्री से भवन सं0 125/ए–6 तक नाली की मरम्मत एवं एप्रोच रोड पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**नगर निगम निधि**	6,18,909.00	5,57,018.10	आगणन दर से 10.00 प्रति0 निम्न	**मे0 एच0 आर0 ट्रेडर्स**	**पढ़ा गया**
179	जोन–2 वार्ड 77 के अन्तर्गत ई ब्लाक में भवन सं0 एच.आई0जी0–16 से 26 होते हुए ई 32 तक सड़क सुधार कार्य।	**नगर निगम निधि**	9,72,015.00	7,88,426.26	आगणन दर से 14.95 प्रति0 निम्न	**मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0**	**पढ़ा गया**
180	जोन–2 वार्ड 70 के अन्तर्गत तिवारीपुर में खेलाघर के मकान से पवन कुमार के मकान होते हुए मनोज प्रोविजन स्टोर के सामने भवन सं0 39 तक एप्रोच रोड पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**नगर निगम निधि**	6,18,074.00	5,56,266.60	आगणन दर से 10.00 प्रति0 निम्न	**मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज**	**पढ़ा गया**
181	जोन–2 वार्ड 71 के अन्तर्गत गाँधी ग्राम स्थित पटेल सरस्वती विद्या मन्दिर से श्याम ट्रेडर्स तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य।	**नगर निगम निधि**	10,00,000.00	8,35,000.00	आगणन दर से 16.50 प्रति0निम्न	**मे0 ओम बिल्डर्स**	**पढ़ा गया**
182	जोन–2 वार्ड 71 के अन्तर्गत टटिया झनाका की गलियों में इण्टरलाकिंग का कार्य।	**राज्य वित्त आयोग**	9,61,007.00	8,04,651.17	आगणन दर से 16.27 प्रति0 निम्न	**मे0 बी0एन0 कान्स0 कं0**	**पढ़ा गया**
183	जोन–2 वार्ड 95 के अन्तर्गत सुजातगंज में स्थित कब्रिस्तान में पाथवे का निर्माण कार्य।	**नगर निगम निधि**	7,94,656.00	6,51,625.87	आगणन दर से 17.999 प्रति0 निम्न	**मे0 स्वेता इण्टरप्राइजेज**	**पढ़ा गया**

<u>मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित</u>

प्र0स.	**कार्य का नाम**	**मद**	**आगणन धनांक**	**निविदा धनांक**	**दर**	**ठेकेदार/ फर्म का नाम**	**निर्णय**
184	जोन–2 वार्ड 71 के अन्तर्गत टटिया	**नगर निगम निधि**	11,82,977.00	10,20,909.16	आगणन दर से 13.70	**मे0 सांई ट्रेडिंग**	**स्वीकृत**

ह0....महापौर

	झनाका गाँव स्थित नन्दू यादव के मकान से यादव जनरल स्टोर तक सड़क व नाली का सुधार कार्य।				प्रति0 निम्न	**कम्पनी**	
185	जोन–2 वार्ड 30 के अन्तर्गत मछरिया गाँव में सी0सी0 रोड से केषरवानी जनरल स्टोर होते हुए ताज मोहम्मद के घर तक खरन्जा नाली का सुधार कार्य।	**राज्य वित्त आयोग**	12,40,694.00	11,32,753.63	आगणन दर से 8.70 प्रति0 निम्न	**मे0 बी0एन0 कान्स0 कं0**	**स्वीकृत**

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड–3 के अन्तर्गत निम्नान्कित कार्यो के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

प्र0सं0	**कार्य का नाम**	**मद**	**आगणन धनांक**	**निविदा धनांक**	**दर**	**ठेकेदार/ फर्म का नाम**	**निर्णय**
186	ई–130 से ई–148 तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	633270.00	14% निम्न	544612.00	मेसर्स महिमा इन्टरप्राइजेज	**पढ़ा गया**
187	शिवाजी पार्क के पास म0न0–एम.आई0जी. 182 से 190 सेक्टर–4 बर्रा–2 तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	910050.00	19% निम्न	737140.50	मेसर्स महिमा इन्टरप्राइजेज	**पढ़ा गया**
188	सेक्टर सी में पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	4(7)	565760.00	8.75% निम्न	516256.00	मेसर्स नीतू इन्टरप्राइजेज	**पढ़ा गया**
189	ई–85 से ई–96 होते हुये ई–98 तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	758005.00	18% निम्न	621564.10	मेसर्स महिमा इन्टरप्राइजेज	**पढ़ा गया**
190	बाकर गंज में स्थित सामुदायिक विकास केन्द्र का जिर्णोद्धार का कार्य।	5(2)A	995731.00	17% निम्न	826456.73	मेसर्स तिवारी एण्ड ब्रदर्स	**पढ़ा गया**
191	सेक्टर आई में म0न0–आई–421 से 413 एवं आई–769 से 777 तक सी0सी0 सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	9(18)	838963.00	19.10% निम्न	678721.06	मेसर्स सरिता बिल्डर्स	**पढ़ा गया**
192	सेक्टर आई विश्व बैंक बर्रा में पार्षद के मकान के सामने वाले पार्क में पाथवे का निर्माण कार्य।	5(3)B	659937.00	15.25% निम्न	559296.60	मेसर्स एस0एस0 इन्टरप्राइजेज	**पढ़ा गया**
193	सेक्टर आई में आई–791,805,812,831	5(3)B	856846.00	19.1% निम्न	693188.41	मेसर्स आर0के0	**पढ़ा गया**

ह0....महापौर

	एवं 799 से घिरी हुयी ऑतरिक गलियों का इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।					कान्स0 क0	
194	सेक्टर आई में आई–117,141,162,155 एवं 129से घिरी हुयी ऑतरिक गलियों का इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	870368.00	18.9999% निम्न	704998.16	मेसर्स संजय शर्मा	**पढ़ा गया**
195	गुन्जन विहार में एल0आई0जी0 311 से ई–79 होते हुये ई0डब्लू.एस0–104 तक नाली एवं सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	9(18)A	664492.00	3% निम्न	644557.24	मेसर्स गणेश एण्ड क0	**पढ़ा गया**
196	डब्लू ब्लाक केशव नगर में मधुबन पार्क के चारों ओर फुटपाथ पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगानें का कार्य।	5(3)B	738632.00	23.11% निम्न	567934.14	मेसर्स आर0के0 कान्स0 क0	**पढ़ा गया**
197	डब्लू ब्लाक केशव नगर में यू0–24 एल0आई0जी0 से यू0–19 एल0आई0जी0तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	772841.00	21.66% निम्न	605445.64	मेसर्स अजय इन्टरप्राइजेज	**पढ़ा गया**
198	बाबूपुरवा में म0न0–327 से 331 तक साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगानें का कार्य।	5(3)B	596425.00	7.9% निम्न	549308.00	मेसर्स लखन कान्स0क0	**पढ़ा गया**
199	बाबूपुरवा के अन्तर्गत आर0के0विद्यालस से बाबूपुरवा केस्को सब स्टेशन तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	615983.00	0.05% निम्न	615675.01	मेसर्स शर्मा एण्ड क0	**पढ़ा गया**
200	म0न0–127/117 से 127/120 तक नाली एवं सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	691471.00	15.15% निम्न	586713.14	मेसर्स दिली कुमार बाजपेई	**पढ़ा गया**
201	के0 ब्लाक म0न0–128/681 से 128/661 तक नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	965307.00	20.25% निम्न	769832.34	मेसर्स सुन्दर लाल	**पढ़ा गया**

<u>मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित</u>

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय

ह0....महापौर

202	लाल कालोनी में सद्भावना पार्क के पास ब्लाक 189 से 186 एवं 186 से 180 तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1138580.00	13.80% निम्न	981455.96	मेसर्स शिल्पी इन्टरप्राइजेज	**स्वीकृत**
203	बगाही भट्ठा मलिन बस्ती में जे0पी0पैलेस के पिछे से म0न0–130/471(आरा मशीन रोड)तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक एवं साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग तथा नाली का सुधार कार्य।	12(B)	1487415.00	11.80% निम्न	1311900.03	मेसर्स डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0लि0	**स्वीकृत**
204	डब्लू–2 ब्लाक के पास म0न0–163 श्री डी0के0शुक्ला के मकान से आर0बी0सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	5(3)B	1500000.00	13.701% निम्न	1294500.00	मेसर्स सॉई ट्रेडिंग क0	**स्वीकृत**
205	गोबर्धन पुरवा मलिन बस्ती को मिलानें वाली सडक म0न0–128/47 के. से साक्षी गैस क0 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 से सडक का सुधार कार्य।	12(B)	1477814.00	11.99% निम्न	1300624.11	मेसर्स डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0लि0	**स्वीकृत**

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित–4

प्र0सं0	**कार्य का नाम**	**मद**	**आगणन धनांक**	**निविदा धनांक**	**दर**	**ठेकेदार/ फर्म का नाम**	**निर्णय**
206	जोन–4 वार्ड–1 पुराना कानपुर 4/278 डी–32 से 4/278 डी–16 तक तथा ट्रान्सफार्मर तक सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	**मलिन बस्ती**	7,19,347.00	6,34,751.80	आगणन दर से 11.76 प्रतिषत निम्न	**मे0 बी0 एन0 कान्सट्रक्षन**	**पढ़ा गया**
207	जोन–4 वार्ड–107 के अन्तर्गत भैंसिया हाता की गलियों में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने तथा सीवर लाइन डालने का कार्य।	**मलिन बस्ती**	9,98,413.00	9,93,420.94	आगणन दर से 0.50 प्रतिषत निम्न	**मे0 जावेद रफी**	**पढ़ा गया**
208	जोन–4 वार्ड–107 के अन्तर्गत मलिन बस्ती किशोरीलाल हाते की गलियों का सुधार कार्य एवं जल निकासी हेतु पाइप डालने का कार्य।	**मलिन बस्ती**	8,53,514.00	8,53,514.00	आगणन दर पर	**मे0 जेहरा इण्टरप्राइजेज**	**पढ़ा गया**
209	जोन–4 वार्ड 13 खलासी लाइन के अन्तर्गत तिलक नगर गर्ल्स इण्टर कालेज	**नगर निगम निधि**	8,46,802.00	7,14,700.89	आगणन दर से 15.60 प्रतिषत निम्न	**मे0 रामेष्वर ट्रेडर्स**	**पढ़ा गया**

	नगर निगम में साइंस ब्लाक की मरम्मत का कार्य।						

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
210	जोन–4 वार्ड–51 के अन्तर्गत ए0एन0डी0 कालेज में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला (एम0एस0सी0) का निर्माण कार्य।	**विद्यालय की भवन निधि**	12,90,177.00	11,61,288.32	आगणन दर से 9.99 प्रतिषत निम्न	**मे0 श्रीबालाजी इण्टरप्राइजेज**	**स्वीकृत**

प्र0सं0 211–नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/41/न.आ/प्रोजेक्ट–सेल/12–13 दिनांक 05.06.2013 के क्रम में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव **सूचनार्थ प्रेषित।**

प्रस्ताव

कानपुर नगर स्थित जाजमऊ में 36 एम.एल.डी. सी.ई.टीपी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत नगर निगम द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापित प्लाण्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम कानपुर पत्र संख्या 1982/ए0सी0–1/118 दिनांक 21.05.2013 के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृति दिनांक 05.06.2013 को प्रदान की गयी है। जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ प्रेषित है।**

.... पढ़ा गया।

प्र0सं0 212– नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/17/न.आ/प्रोजेक्ट–सेल/13–14 दिनांक 07.05.2013 के क्रम में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव **सूचनार्थ प्रेषित।**

प्रस्ताव

कानपुर नगर स्थित जाजमऊ में 36 एम.एल.डी. सी.ई.टीपी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत नगर निगम द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग (गंगा सेल) के पत्र संख्या 472/ (1) सी.जी.ए./9–5–2013 दिनांक 02.04.2013 व महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम कानपुर कार्यालय के पत्र संख्या 1516/ए.सी.–1/100 दिनांक 22.04.2013 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापित प्लान्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु कार्यहित में नगर आयुक्त रू0 50,00,000.00 (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृति दिनांक 06.05.2013 को प्रदान की गई है, जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ प्रस्तुत है।**

.... पढ़ा गया।

ह0....महापौर

प्र0सं0 213–नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/08/न.आ/प्रोजेक्ट–सेल/12–13 दिनांक 24.04.2013 को मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव **सूचनार्थ प्रेषित।**

<u>प्रस्ताव</u>

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी कार्यान्श के अन्तर्गत सीवरेज योजना–फेस–1 (इनर ओल्ड एरिया) स्वीकृत लागत रू0 19088.22 लाख के सापेक्ष महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम कानपुर द्वारा योजना की अवशेष रू0 955.66 लाख उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया जिस पर योजना में प्रस्तावित कार्यो को समयबद्ध तिथि सम्पादित कराये जाने कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियत्रण इकाई जल निगम कानपुर को रू0 955.66 लाख अवमुक्त/उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 23.04.2013 को प्रदान की गयी है। जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्र0सं0 214–नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/07/न.आ/प्रोजेक्ट–सेल/12–13 दिनांक 24.04.2013 को मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव **सूचनार्थ प्रेषित।**

<u>प्रस्ताव</u>

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी कार्यान्श के अन्तर्गत सीवरेज योजना–फेस–II(Contruction of 210MLD S.T.P at Bingawan) स्वीकृत लागत रू0 10100.45 लाख के सापेक्ष रोकी गयी केन्द्रांश की धनराशि रू0 502.02 निदेशक/एस.एल.एन.ए. निदेशालय उ. प्र. के पत्र संख्या पी.एम.यू./401/124 (3)/जे.एन.एन.यू.आर.एम./2012–13 दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त करायी गयी, को महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम कानपुर के अनुरोध पर योजना व कार्यहित में शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रू0 502.02 लाख कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक,गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम कानपुर को अवमुक्त/उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 23.04.2004 को प्रदान की गयी है। जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्र0सं0 215–नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/06/न.आ/प्रोजेक्ट–सेल/12–13 दिनांक 24.04.2013 को मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित।

<u>प्रस्ताव</u>

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी कार्यान्श के अन्तर्गत सीवरेज योजना–(District-Iv&III) स्वीकृत लागत रू0 20736.00 लाख के सापेक्ष राकी गयी केन्द्रांश की धनराशि रू0 1000.00 निदेशक/एस.एल.एन.ए. निदेशालय उ0 प्र0 पत्र संख्या पी.एम.यू./401/124 (3) जे.एन.एन.यू.आर.एम./12–13 दिनांक 31 मार्च, 2013 को प्राप्त करायी गयी को महाप्रबन्धक, ग्रंगा प्रदूषण नियत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम कानपुर के अनुरोध पर योजना व कार्यहित

शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रू0 1000.00 लाख कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम कानपुर अवमुक्त/उपलब्ध करये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.04.2013 को प्रदान की गयी है, जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।
.... पढ़ा गया।

प्र0सं0 216–नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी. 62./न.आ./प्रो. सेल/2012–13 दिनांक 29.06.213 को मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव–:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या संख्याः के–14012/280/06–एन.यू.आर.एम.–I दिनांक 22 सितम्बर, 2011 के साथ संलग्न टूलकिट्स के अनुसार, निदेशक/एस.एल.एन.ए. के पत्र संख्याः पी.एम.यू./579/382/2012 दिनांक 07 अप्रैल, 2012के निर्देश के क्रम में कानपुर नगर हेतु II Generation पुनरीक्षित City Development Plan (सी.डी.पी.) तैयार किये जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त तकनीकी सलहाकारों (कन्सलटेन्टों) की सूची में अंकित कन्सलटेन्टों से नगर आयुक्त की स्वीकृत के अनुपालन में द्वितीयबार निविदा/प्रस्ताव दिनांक 20.02. 2013 को आमन्त्रित किये गये जिनमें तीन प्रस्ताव प्राप्त हुये, प्राप्त प्रस्तावों की तकनीकी विड खोलने पर मात्र दो प्रस्ताव वित्त हेतु अर्ह पाये गये । तदोपरान्त दिनांक 07.03.2013 को वित्तीय विड खोली गयी, जिसमें सर्वन्यून प्रस्सताव मैसर्स फीडबैक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., गुड़गावँ का अंकन 23,30,380.00 का प्राप्त हुआ था। जिसे सर्वन्यून निविदा मैसर्स फीडबैक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. गुड़गॉव द्वारा अपने पत्र के माध्यम से उक्त निविदा धनराशि को कम करते हुए धनराशि 19,95,000.00 पर कार्य करने की सहमति दी है। सर्वन्यून प्रस्तावक/निविदिदाता द्वारा दिनांक 18.03.2013 को कार्यकारिणी समिति कक्ष में उनके द्वारा पूर्व में उक्त से सम्बन्धित किये गये कार्यो का प्रस्तुतीकरण अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) सन्तोषजनक किया गया। सी.डी.पी. तैयार कराये जाने पर होने वाली व्यय की धनराशि नगर निगम द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः जनहित एवं कार्यहित में कानपुर नगर हेतु II Generation पुनरीक्षित City Development Plan (सी.डी.पी.) तैयार किये जाने हेतु सर्वन्यून निविदादाता की पत्र के माध्यम से संशोधित निविदा अंकन ` 19,95,000.00 की स्वीकृति हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के **विचारार्थ/स्वीकृतार्थ** प्रस्तुत है।
.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 217– नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/65/न. आ./प्रोजेक्ट सेल./2013–14 दिनांक 04.07.2013 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव **सूचनार्थ प्रेषित।**

:– प्रस्ताव –:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना की लागत रू0 5623.79 लाख के सापेक्ष रोकी गयी केन्द्रांश रू0 281.19 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0 प्र0 के पत्र संख्या पी.एम.यू./401/124–(3)/जे.एन.एन.यू.आर.एम./2012–13 दिनांक 31 मार्च, 2013 के अनुसार प्राप्त हुई है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त व चतुर्थ किस्त के रूप में केन्द्रांश 2811.89 लाख राज्यांश रू0 1124.75 लाखव निकायांश रू0 1687.14 कुल रू0 5623.78 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसके सापेक्ष उपभोग की

ह0....महापौर

गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र रू0 2960.47 लाख का प्राप्त कराया गया था, जिसे निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उ. प्र. को प्रेषित किया जा चुका है। शासन से प्राप्त उक्त रोकी गयी केन्द्रांश रू0 281.19 लाख कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक सी. एण्ड डी. एस. यूनिट–5 द्वारा योजना व कार्यहित में प्राप्त कराये जाने हेतु किये गये अनुरोध पर नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.07.2013 को कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी. एस. यूनिट–5 को रू0 2,81,19,000.00 के भुगतान की स्वीकृत प्रदान की गयी है। जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ प्रेषित है।**

.... **पढ़ा गया।**

प्र0सं0 218– नगर आयुक्त के पत्रांक डी0/48/न.आ./प्रोजेक्ट सेल/2013–14 दिनांक 14.062013 जे.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर पेयजल पुर्नग्ठन योजना फार बेस्ट विंस डिस्ट्रिक्ट फेस–III (Part-1) अनुमानित लागत रू0 478.23 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन को **स्वीकृतार्थ प्रेषित।**

प्रस्ताव

कानपुर नगर में कुल 110 वार्ड हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत मानक के अनुरूप जलापूर्ति हेतु 67 वार्डो को कानपुर नगर पेयजल योजना फेज I तथा 33 वार्डो को कानपुर नगर पेयजल योजना फेज–II के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उक्त दोनों योजनाएं निर्माणाधीन है।

कानपुर नगर के वेसट सर्विस डिस्ट्रिक्ट एरिया के शेष 10 वार्डो में मानकों के अनुरूप जलापूर्ति हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण इकाई– III, उ.प्र. जल निगम, कानपुर द्वारा रू. 478.23 करोड़ का विस्तृत प्राक्कलन (डी.पी.आर.) तैयार किया गया है। इन वार्डो में 172.5 एल.पी.सी.डी. की दर से मध्य वर्ष 2045 में कुल 250 एल.एल.डी. पेयजल की आवश्यकता होगी, जिसमें 200 एम.एल.डी. की प्रतिपूर्ति डा. राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति योजना के अन्तर्गत गंगा बैराज पर पूर्व में निर्मित जल शोधन संयत्र से एवं शेष 50 एम.एल.डी. जल की व्यवस्था फेज– के अन्तर्गत निर्माणाधीन 200 एम.एल.डी. के जल शोधन संयत्र से की जायेगी। योजना के कुल लागत की 50 % धनराशि केन्द्र सरकार, 20 % धनराशि राज्य सरकार, तथा 30 % धनराशि नगर निगम, कानपुर वहन करेगी। योजना के निर्माण हेतु वांछित धनराशि का पोषण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

1. केन्द्रांश – रू. 212.94 करोड़
2. राज्यांश – रू. 137.53 करोड़
3. नगर निगम का अंश – रू. 127.76 करोड़

डी.पी.आर. के अन्तर्गत 11 जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण 29.752 कि.मी. क्लीयर वाटर फीडरमेन, 2.935 कि.मी. राइजिंगमेन, 200 से 2000 किली क्षमता के 11 सी.डब्लू.आर., 500 से 2150 किली क्षमता के 16 उच्च जलाशय के निर्माण, पूर्व में निर्मित 10 उच्च जलाशय के जीर्णाद्धार, 521.4 किमी. जल वितरण प्रणाली एवं 121156 डोमेस्टिक वाटर मीटर के अधिष्ठापन एवं बाउन्ड्रीवाल इत्यादि का कार्य प्रस्तावित किया गया है।

ह0....महापौर

योजना के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्य उ.प्र. जल निगम, द्वारा सम्पादित कराये जायेगें तथा पूर्ण किये गये कार्यो का रख–रखाव हस्तान्तरण के पश्चात जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर द्वारा स्वयं कराया जायेगा। परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था नगर निगम, कानपुर द्वारा निःशुल्क किया जायेगा।

कानपुर नगर के वेस्ट सर्विस डिस्ट्रिक्ट एरिया की जलापूर्ति हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत रू. 478.23 करोड़ का विस्तृत प्राक्कलन(डी. पी.आर.) धनावंटन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उपर्युक्त प्रस्ताव स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी के माध्यम से प्रेषित किया जाना है।, जिसकी स्वीकृति मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की **स्वीकृति** हेतु प्रेषित है।

.... स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया।

प्र0सं0 219– श्री महेन्द्र पाण्डेय '' पप्पू'' ,उप सभापति द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम द्वारा आपातकालीन में लगभग 15 चालकों की अस्थाई नियुक्ति चयन समिति के माध्यम से सन् 1999 में की गई थी। जिनका तब से नगर निगम द्वारा बराबर कार्यकाल बढ़ाकर उनसे कार्य लिया जाता रहा है तथा उन्हे समय से वेतन का भुगतान भी किया जा रहा था।

कानपुर नगर निगम द्वारा लगभग 11 चालकों को माह नवम्बर, 2012 में अकारण उनकों आवंटित वाहन वर्कशॉप में खड़े करा लिये गये तथा उसके बाद से प्रार्थीगणों को माह नवम्बर, 2012 के बाद से वेतन का भुगतान भी नही किया जा रहा है, जिससे उनको अपने परिवार का भरण–पोषण करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि उक्त 11 चालकों की 13 वर्षो की लम्बी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुये उन्हे माह नवम्बर, 2012 से रोका गया वेतन भुगतान कराने तथा उन्हे पूर्व में आवंटित वाहनों को भी पुनः आवंटित करने की कार्यवाही करायें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि मा0 उच्च न्यायालय में इन चालकों द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें निर्णय के तहत इनकों सेवा से हटाया गया है। पुनः संज्ञान में आया है कि इन चालकों ने पुनर्विचार हेतु याचिका दाखिल की गई है। अतएव न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया जायेगा तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

.... निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अक्षरशः पालन किया जाय।

प्र0सं0 220– श्रीमती रीता शास्त्री पार्षद द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

वार्ड 90 के अनर्तगत मुख्य मार्ग मे साइट नं0 1 स्थित कमटी हाल पिछले 40 वर्ष पूर्व बनाया गया था पहले उसका उपयोग बारातशाला के रूप मे होता था किन्तु रख–रखाव के अभाव मे एवं मेन्टीनेन्स न होने के कारण जर्जर हालत मे है अतः वहाँ साफ–सफाई एवं मरम्मत करवाकर बारातशाला के रूप मे उपयोग करके नगर निगम की आय मे वृद्धि की जा सकती है। अभी वहाँ पर अराजकतत्वों ने कब्जा कर रखा है, शाम होते ही शराब और स्मैक आदि पीने वाले इकट्ठा होते हैं जिस कारण क्षेत्र मे अपराधियों का जमावड़ा होता है अतः इस विषय पर आप तत्काल ही कुछ न कुछ करने की कृपा करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

ह0....महापौर

सभापति ने कहा कि बिना श्रम विभाग की सहमति के नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती। यदि श्रम विभाग से उक्त श्रमिक कलोनियॉ नगर निगम को हस्तानान्तरित हो जायेंगी तदोपरान्त कार्यवाही की जा सकती है।

.... नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण अस्वीकार किया गया।

प्र0सं0 221— श्रीमती रीता शास्त्री पार्षद द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

वार्ड 90 के अर्न्तगत मुख्य मार्ग मे म्यूजिकल फाउन्डेशन के बाहर नगर निगम की खाली जमीन का सदुपयोग किया जा सकता है जिससे नगर निगम की आय मे बढोत्तरी हो सकती है क्योंकि उसी स्थान पर मेडिकल स्टोर पिछले 20 वर्षों से चल रहा है तो उसी स्थान पर 20 दुकाने बन सकती हैं अतः उसके किराये से नगर निगम की आय मे वृद्धि हो सकती है अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे निवेदन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके उक्त स्थान पर दुकाने बनवाकर उक्त स्थान का सदुपयोग करके नगर निगम के लाभ हेतु कराने की कृपा करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... जोनल अधिकारी जोन—3 को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर आख्या दी जाय।

प्र0सं0 222— श्री अभिषेक गुप्ता पार्षद द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

निवेदन है कि जोन—1 मे नानाराव पार्क पर एक बच्चों का स्वीमिंग पूल बनाने के लिये कार्यकारिणी मे प्रस्तावित है इस पार्क मे बच्चों के पूल के अलावा पालिका स्टेडियम मे वने जिम की तरह नानाराव पार्क के तरूण ताल मे भी इस प्रणाली के तहत कार्य को करने से नगर निगम की आय मे भी वृद्धि की जा सकती है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

सभापति ने अवगत कराया कि चुन्नीगंज स्थित नगर निगम विद्यालय में बच्चों की तैराकी हेतु पूर्व से ही तरणताल है अतएव इस विचार किया जाना समीचीन नही होगा। साथ ही उचित होगा कि नगर निगम चुन्नीगंज के तरणताल के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में विज्ञापन कराया जाय जिससे अभिभावकों द्वारा बच्चों को तरणताल में तैराकी का प्रशिक्षण दिलाया जा सकें।

.... तकनीकी परीक्षण कराया जाय।

प्र0सं0 223— श्री संदीप जायसवाल, पार्षद द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

मेरे वार्ड 79 के अर्न्तगत कोई क्रिया घर न होने के कारण क्षेत्र की जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है जिसमे सबसे ज्यादा असुविधा महिलाओं को उढानी पड़ती है तो मेरे वार्ड मे दो स्थान एक छप्पन पार्क एवं सद्भावना पार्क जिसमे क्रिया घर बनाने मे कोई असुविधा नही होगी दोनो जगह पानी की सुविधा उपलब्ध है कृपया किसी एक स्थान पर क्रिया धर बनाने की कृपा करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

ह0....महापौर

.... मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पार्क में किसी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया गया है, अतएव वैकल्पिक स्थल के साथ अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

प्र0सं0 224– श्री संदीप जायसवाल, पार्षद द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

मेरे वार्ड 79 के अर्न्तगत कमेटी हाल वेलफेयर सेन्टर मे है जो अति क्षति ग्रस्त है जिसे बारातशाला का स्वरूप देकर निर्माण कराने का कष्ट करें जिससे क्षेत्र की गरीब जनता के शादी विवाह सम्पन्न हो सकते हैं। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण अस्वीकार किया गया।

प्र0सं0 225– श्रीमती आशा सिंह, पार्षद द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

मेरा वार्ड नं0 81 एक घनी आबादी वाला वार्ड है जिसमे लगभग एक लाख लोग निवास करते हैं जिसमे निम्न वर्ग के लोगों की संख्या सबसे अधिक है मेरे वार्ड मे मांगलिक कार्यक्रमों हेतु कोई उचित स्थान न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को मांगलिक कार्यक्रमो को सम्पन्न करने मे अत्यधिक कढिनाईयों का सामना करना पड़ता है मेरे निवास स्थान के सामने नगर निगम की खाली पड़ी भूमि पर एक मन्दिर है जिसके बगल मे नगर निगम की रिक्त भूमि पड़ती है अतः मेरा प्रस्ताव है कि नगर निगम द्वारा उक्त रिक्त भूमि पर बरातशाला का निर्माण करा दिया जाये तो मेरे क्षेत्र एवं आस–पास के नागरिकों को मांगलिक कार्यक्रमो को सम्पन्न कराने हेतु स्थान मिल जायेगा और वह सुविधापूर्वक वहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम सम्पन्न करा सकेंगे उक्त प्रस्ताव मा0 कार्य कारिणी के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत।**

.... जोनल अधिकारी जोन–3 को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर आख्या दी जाय।

नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति के अनुसार मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित है।

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	फर्म का नाम	निर्णय
226	प्रतिवार्ड 05–05 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय किये जाने हेतु जोन–2, 3 व 5 के अन्तर्गत 32 वार्डो के लिये 160 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	791,680.00	मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 एम.एम. सेल्स कार0	**पढ़ा गया**

ह0....महापौर

227	वार्ड–105 में समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट, सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं सहायक विद्युत सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	532,250.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 एम.एम. सेल्स कार0,मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स, मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	**पढ़ा गया**
228	शिवरात्रि एवं होली पर्व पर गरीब बस्ती मे लगे बन्द सी0एफ0एल0 फिटिंग के मार्ग प्रकाश बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य हेतु 1293 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट क्रय हेतु।	4(1)B 2305002	961,254.99	मे0 राजकमल मार्केटिंग	**पढ़ा गया**
229	सोडियम फिटिंग के बन्द बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने के लिये 680 नग सोडियम चोक 250 वाट क्रय हेतु।	4(1)B 2305002	995,622.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग	**पढ़ा गया**
230	मार्ग प्रकाश विभाग, जोन–2 मे कार्यरत श्री मनोज कुमार अवस्थी, स्विचमैन के कार्य करते समय सीढ़ी से गिर जाने के फलस्वरूप जीवन रक्षा हेतु चिकित्सा अग्रिम हेतु।	–	60,000.00	श्री मनोज कुमार अवस्थी, स्विचमैन	**पढ़ा गया**
231	मा0 सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली मे एस0एल0पी0 दाखिल करने हेतु सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा को।	–	15,000.00	श्री प्रदीप मिश्रा, अधिवक्ता	**पढ़ा गया**
232	जोन–5 के अन्तर्गत विभिन्न चौराहो पर 16 नग टावर हेतु 64 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट एवं 128 नग सोडियम लैम्प 400 वाट क्रय हेतु।	4(1)B 4103302	969,600.00	मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 कृपा इलेक्ट्रिकल्स	**पढ़ा गया**
233	जोन–1 के अन्तर्गत विभिन्न चौराहो पर 16 नग टावर हेतु 64 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट एवं 128 नग सोडियम लैम्प 400 वाट क्रय हेतु।	4(1)B 4103302	969,600.00	मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 कृपा इलेक्ट्रिकल्स	**पढ़ा गया**
234	जोन–3 के अन्तर्गत विभिन्न चौराहो पर 15 नग टावर हेतु 60 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट एवं 120 नग सोडियम लैम्प 400 वाट क्रय हेतु।	4(1)B 4103302	909,000.00	मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 कृपा इलेक्ट्रिकल्स	**पढ़ा गया**

ह0....महापौर

235	नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त के द्वारा तत्काल प्रकाश व्यवस्था के आदेश पर 100 नग सोडियम फिटिंग 250 कय हेतु।	4(1)B 4103302	559,100.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग, मे0 डी–कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा0लि0	**पढ़ा गया**
236	कल्यानपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 115 नग सोडियम फिटिंग 250 कय हेतु।	4(1)B 4103302	642,965.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग, मे0 डी–कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा0लि0	**पढ़ा गया**
237	जोन–6 के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु सोडियम फिटिंग 250 कय हेतु।	4(1)B 4103302	989,607.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग, मे0 डी–कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा0लि0	**पढ़ा गया**

प्र0सं0 238– **माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है।**

विज्ञापन एवं विज्ञापन पट पर कर के सम्बन्ध में प्रस्तावित दरें नियामावली के अभाव में वर्ष 2003 की है। शासन द्वारा वर्ष 2009 में तैयार की गयी नियमावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में यह नियमावली विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0 465/9–9–2011–160ज/11 नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक 13 मार्च 2012 के कम में तैयार की जानी थी, जिसमें " अधिनियम की धारा 199 में प्रारम्भिक प्रस्थापनाओं को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि यदि (निगम) धारा 172 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कर आरोपित करना चाहें तो वह संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति की प्रस्थापनायें तैयार करने का आदेश देगी। उपधारा (1) के अधीन संकल्प के पारित हो जाने पर कार्यकारिणी समिति प्रस्थापनायें तैयार करेगी, और उन नियमो का पाण्डुलेख भी तैयार करेगी, जिन्हे वह धारा 219 में निर्दिष्ट विषयो के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनवाना चाहती है का उल्लेख किया गया है।

विज्ञापन कर नियमावली 2013 का प्रारूप तैयार कर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसकी स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 21.03.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के प्र0 सं0 126 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। किन्तु विज्ञापन कर आरोपित किये जाने हेतु पारित संकल्प जिसके आधार पर वर्तमान में विज्ञापन कर की दरें प्रचलित है, काफी पुराना होने के कारण उपलब्ध नही हो पा रहा है। वैधानिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये यह संकल्प आवश्यक है।

अब यह नियमावली नई बनायी जानी है, जिसमें कई प्रकार के नये विज्ञापन के मदों को सम्मिलित करने व विज्ञापन कर की दरों में यथा आवश्यक संशोधन भी किया जाना भी वांछित है। दरों का निर्धारण किये हुए 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, अतः यदि माननीय कार्यकारिणी समिति स्वीकृत प्रदान करती है तो नयी संशोधित नियमावली की प्रतिस्थापना तैयार करने हेतु मा0 सदन द्वारा अपेक्षित संकल्प पारित करने का अनुरोध नियमतः किया जाना अपेक्षित है। तद्नुरूप नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 199 के अर्न्तगत प्रस्तुत **प्रस्ताव विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

.... स्वीकृति प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया।

प्र0सं0 239– नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/131/न. आ./पर्या.अभि./2013–14 दिनांक 04.07.2013 नगर निगम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

:– प्रस्ताव –:

ह0....महापौर

किदवई नगर वाई ब्लाक स्थित पार्क संख्या 1418 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 17.04.2013 के माध्यम से उक्त पार्क का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उद्यान रखे जाने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि यह पार्क कुछ अन्य क्षेत्रीय नागरिको द्वारा चामुण्डा नाम से भी जाना जाता है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उद्यान नाम इस पार्क का पुराना नाम है एवं इस क्षेत्र में 17 भवन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के है। उल्लेखनीय है कि इस पार्क का नामकरण नगर निगम द्वारा पूर्व में कभी नही किया गया है, उक्त दोनों नाम क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा दिये गये है।

अतः उक्त दोनों नाम में से एक नाम सन्दर्भित पार्क हेतु चयनित किये जाने का प्रस्ताव मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ** प्रेषित है।

.... पर्यावरण अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि परीक्षण कर आख्या दें।

प्र0सं0 240— श्री श्री महेश मिश्रा , महामंत्री, भगवान परशुराम धमार्थ संस्थान, 2/346 बी आजाद नगर, कानपुर कानपुर द्वारा प्रस्तुत,एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

विषयः— स्व0 पं0 शिवदत्त तिवारी के नाम पर सम्पर्क मार्ग किये जाने के सम्बन्ध मे।

निवेदन है कि हमारी संस्था के संस्थापक सदस्य एंव आजीवन महामंत्री पद के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाले पं0 शिवदत्त तिवारी जी का निधन अकस्मात 5 फरवरी सन् 2011 को हो गया था। स्व0 तिवारी जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन सामाजिक एवं आर्थिक ईमानदारी का निर्वहन करते हुये व्यतीत किया। समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझना और उनका बखूबी निर्वहन करना उनकी विशेषता थी। इसी के चलते वह अनेक सामाजिक सांस्कृति एवं शैक्षिक संस्थाओं में सक्रिमय रहते हुये समाजसेवा के कार्य में सेंलग्न थें।

स्व0 तिवारी जी के कार्यो के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये संस्था समाज के इस कर्तव्यपरायण एवं निष्ठावान कार्यकर्ता की स्मृति में उनके निवास तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग को उनके नाम पर किये जाने का अनुरोध करती है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि जूही हमीरपुर रोड से स्व0 पं0 शिवदत्त तिवारी के निवास 127/219 जे—4 करपात्री नगर जूही कानपुर तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग को उनके नाम पर करने का कष्ट करें। इससे समाजसेवा हेतु सामाजिक चेतना का विकास करने में सहायता भी प्राप्त होगी । यह संस्था इस कार्य हेतु आपकी सदैव आभारी रहेगी। प्रस्ताव मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रेषित है।**

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 241— नगर आयुक्त के पत्रांक डी/189/सी0ए0ओ/13—14 दिनांक17.07.2013 नगर निगम की धारा 152(5) के अन्तर्गत मा0 **कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत एवं सदन पटल पर रखने हेतु प्रेषित।**

प्रस्ताव

ह0....महापौर

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–4 के पत्रांक 1322/नौ–4–13–20लेखा/09 दिनांक 19 जून 2013 द्वारा नगर निगम मे मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के सृजित 06 पदों की निरन्तरता दिनांक 28.02.2014 तक बढ़ाई गई है। नगर निगम कानपुर की सीमा मे निरन्तर वृद्धि होने से नगर निगम का कार्य क्षेत्र विस्तृत हुआ है। नगर निगम को आय व्यय मे वृद्धि के साथ–साथ कुशल वित्तीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण आवश्यक है।

अतः नगर निगम कानपुर मे कुशल वित्तीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी वेतनमान 12000–16500 पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन बैण्ड रू0– 15600–39100(ग्रेड पे रू0– 7600) के पद को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा–106 के अन्तर्गत स्थायी रूप से प्रति नियुक्ति पर सृजित करने का **प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी/माननीय सदन की स्वीकृति को प्रेषित किया जाता है।**

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्र0सं0 242– श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू), उप सभापति/पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

निवेदन है कि मेरे वार्ड –09 के अन्र्तगत थाना नवाबगंज के ठीक सामने सन् 1960 से अस्थाई परमिट के अधार पर दो होटल व एक पान की दुकान बनी थी, जिसका किराया भी नगर निगम में जमा होता रहा है। अभी दो माह पूर्व निवर्तमान नगर आयुक्त द्वारा दुकानें गिरवा दी गई थी।

मेरा प्रस्ताव है कि उक्त स्थल पर यदि नगर निगम दुकानों का निर्माण करावा दिया जाये तो नगर निगम की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। इन दुकानों के आवंटन में पूर्व में जिनकी दुकानें गिरा दी गई थी, उनको प्राथमिकता पर दुकानें आवंटित की जाये। प्रस्ताव मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रेषित है।**

.... पूर्व पारित निर्णय के क्रम में सभी पार्षद अपने–अपने क्षेत्र में नगर निगम की भूमि/सम्पत्ति का चिन्हांकन कर नगर आयुक्त को अवगत करायेंगे, जिससे कार्यवाही कराई जा सके।

प्र0सं0–243 नगर निगम द्वारा संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सकीय सेवायें दे रहे आनरेरी चिकित्सक होम्योपैथिक, एलोपैथिक द्वारा दिये गये टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन है कि हम सभी आनरेरी चिकित्सक होम्योपैथिक, एलोपैथिक विगत लम्बे अर्से से नगर निगम द्वारा संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सकीय सेवायें दे रहे है। हमें गत दो वर्षो से आनरेरियम (आवागमन भत्ता) मात्र दो हजार रूपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। जो वर्तमान में बिल्कुल ही अपर्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये लगभग 10 हजार रूपये प्रतिमाह बढ़ाने की कृपा करें।

ह0....महापौर

तांकि हम सभी पूर्ण मनोयोग से सेवायें कर सकें।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि वर्ष–1994 में उ0प्र0 शासन द्वारा नगर निगम के चिकित्सा संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिये जाने के कारण नगर निगम चिकित्सा विभाग में किसी डाक्टर की नियुक्ति नही की जा सकती है, जबकि हमारे पूर्व के चिकित्सक (होम्योपैथिक/एल्योपैथिक) सेवानिवृत्त हो रहे है। नगर निगम चूँकि नागरिक अवस्थापना सुविधाओं एवं जनहित के प्रति जवाबदेह है अतएव मानदेय पर कुछ (होम्योपैथिक/एल्योपैथिक) चिकित्सकों को रखा गया है, जिनके मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि आज की मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय पारित करने का कष्ट करें।

.... जनहित में निर्णय लिया गया कि मानदेय पर रखे गये नगर निगम होम्योपैथिक/एल्योपैथिक चिकित्सकों का मानदेय रू0 2000/– के स्थान पर रू0 5000/– प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। क्या दन्त चिकित्सक भी इसमें आऍगे।

प्र0सं0 244– श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू), उप सभापति/पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त जी द्वारा अनुमोदित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना:–

<u>प्रस्ताव</u>

कृपया अवगत हो कि डा0 यू0पी0अग्रवाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) के पद से दिनांक 31.08.2013 को सेवानिवृत्त हो रहे है। डा0 अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद चिकित्सा विभाग में कोई एलोपैथिक चिकित्सक नही रह जायेगा, जिसके फलस्वरूप चिकित्सा विभाग का संचालन अवरूद्ध हो जायेगा एवं महत्वपूर्ण विभागीय कार्य बाधित हो जायेंगे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) का पद एलोपैथिक चिकित्सक द्वारा भरा जाता है।

अतएव चिकित्सा विभाग के सुचारू संचालन के लिये डा0 यू0पी0 अग्रवाल को नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) के पद पर कार्यानुमति प्रदान किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति से सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

.... विधिक राय लेकर कार्यकाल बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाय।

सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 51(5) में विहित प्राविधान के तहत 06 कार्यकारिणी सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाना है। अतएव लाटरी डालने हेतु 12 कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की पर्चियॉ उपलब्ध कराई जाय, जिस पर नगर आयुक्त ने सचिव नगर निगम को तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

सचिव, नगर निगम ने कार्यकारिणी समिति के 12 सदस्यों की नाम की पर्चियॉ तैयार कर सभापति को खाली डिब्बे के साथ हस्तगत की।

सभापति ने 12 सदस्यों के नामों की पर्चियों को पुकारते हुये सभी सदस्यों को दिखाते हुये एक–एक कर खाली डिब्बे में डाला और व्यवस्था दी गई कि जिन 06 सदस्यों के नाम की पर्चियॉ निकलेंगी वह कार्यकारिणी समिति के सदस्य यथावत् बने रहेंगे और शेष 06 सदस्य सेवानिवृत्त माने

ह0....महापौर

जायेंगे। तदोपरान्त कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से श्री धर्मनाथ मिश्रा, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती उत्तम दुबे, मो0 वसी, श्री इरफान खॉन, श्रीमती विजय लक्ष्मी कुल छः सदस्यों को एक–एक करके बुलाकर 06 पर्चियॉ निकलवाई। निकाली गई पर्चियों में निम्नलिखित छः नाम प्राप्त हुये :–

1. श्री जितेन्द्र कुमार 2. श्रीमती उत्तम दुबे 3. श्री संदीप जायसवाल 4. श्री महेन्द्र पाण्डेय 5. श्रीमती गीता देवी 6. श्री अभिषेक गुप्त ''मोनू''

दी गई व्यवस्था के तहत उपरोक्त 06 सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य यथावत् बने रहेंगे तथा श्री राकेश साहू, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री इरफान खॉन, मो0 सलीम बेग, श्री धर्मनाथ मिश्र व मो0 वसी सेवानिवृत्त माने जायेंगे।

इसी के साथ सभापति ने कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से आज की कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

.... सभी सदस्यों ने आज दिनांक–14.08.2013 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।

अन्त में सभापति द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0.........

(जगत वीर सिंह द्रोण)

महापौर / सभापति

ह0....महापौर